

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
शुक्रवार, 07 अप्रैल, 2006/चैत्र 17, 1928(शक)

संख्या- 143

विषय:- सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, एस.एच.ओ., रोहणी, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य, श्री कुलवन्त राणा को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/148/149/186/353/332 एवं पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट को नुकसान पहुंचाने संबंधी धारा-3 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन, रोहणी, दिल्ली से 4.4.2006 को गिरफ्तार किया गया।

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II
(General information relating to legislative and other matters)
Friday 07th April 2006/17 Chaitra 1928

No. 143

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from SHO, Rohini, Delhi

"I have the honour to inform you that Shri Kulwant Rana, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi, was detained U/S 147/148/149/186/353/332IPC and U/S 3 of Prevention of Damage of Public Property Act, at PS Rohini, Delhi on 4.4.2006.

Siddharath Rao
Secretary